

30/12/19

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

463/19/जा.व.

हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर

तारीख

2019/12/30

नम्बर व तारीख
अहकाम जोइस
हुक्म की तामील
जारी हुए

श्री

इलीना मिर

श्री

R-2 लंबेप जय

30/12/19

प्रार्थना पत्र बाजदायरी पेश। अभिभाषक प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 02 स्वयं उपस्थित हुए। अभिभाषक प्रार्थी ने बताया कि शेष अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये, किन्तु अप्रार्थीगण जानबूझ कर नोटिस तामील नहीं करवा कर, प्रकरण में विलम्ब कर रहे हैं इसलिए बाजदायरी प्रार्थना पत्र पर हमारी बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र बाजदायरी का निस्तारण किया जावे।

न्यायहित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र बाजदायरी (आदेश 41 नियम 19 जा.दी.) पर अभिभाषक प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 02 की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन सर्वप्रथम बाजदायरी प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते हैं।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में वर्णित कथनों पर विश्वास करते हुए एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र बाजदायरी (आदेश 41 नियम 19 जा.दी.) को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है।

तत्पश्चात बाजदायरी का निस्तारण किया जाता उचित समझते हैं। अभिभाषक प्रार्थी के प्रस्तुत कथन एवं न्यायहित में प्रार्थना पत्र बाजदायरी (आदेश 41 नियम 19 जा.दी.) को स्वीकार कर अपील का निस्तारण गुणावगुण पर करना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थना पत्र बाजदायरी (आदेश 41 नियम 19 जा.दी.) को न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। प्रार्थना पत्र फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

27/12/19
राजस्व-अपील प्राधिकारी
अजमेर